

## वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन) From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में: सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय : दो क्ट्ंब पंशन के लिए पात्रता-स्पष्टीकरण के संबंध में।

Sub : Eligibility for two family pensions- clarification regarding.

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 23.05.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/1(45)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई) को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अन्पालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare Office Memorandum No. 1/1(45)/2022-P&PW (E) dated 23.05.2022 on the above-mentioned subject for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

अवर सचिव (नीति) / Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl.: यथोपरि/As above

#### प्रतिलिपि/Copy to:

1) प्रमुख, आई.टी .प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सी.एस.आई.आर. वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर उपलब्ध कराएं ।

Head, IT Division - with a request to make this circular letter available on the CSIR Website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phones: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303 Fax: 91-11-23714788 Gram: CONSEARCH, NEW DELHI Website: http://www.csir.res.in

# सं. 1/1(45)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डेस्क-ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 23 मई, 2022

### कार्यालय ज्ञापन

विषय:- दो कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता-स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से अर्थात सैन्य सेवा और सिविल सेवा की बाबत या स्वायत निकाय और सिविल सरकारी विभाग में की गई सेवा की बाबत, कुटुंब पेंशन के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए इस विभाग में अभ्यावेदन/संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

- 2. पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में 27 दिसंबर, 2012 को संशोधन से पूर्व, यदि किसी सैन्य पेंशनभोगी ने अपने द्वारा की गई सैन्य सेवा के लिए कुटुंब पेंशन के विकल्प का चयन किया था, तो उन नियमों के नियम 54 के उप-नियम 13-क के अनुसार पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी को सिविल पक्ष से कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति प्रतिबंधित थी। इसी प्रकार, उन नियमों के नियम 54 के उपनियम 13-ख के अनुसार किसी व्यक्ति को दो कुटुंब पेंशन देने पर रोक थी यदि वह पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार के अधीन केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार और/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत निकाय/स्थानीय निधि के किसी अन्य नियम के तहत कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा था। दिनांक 27 दिसंबर, 2012 (24 सितंबर, 2012 से प्रभावी) की अधिसूचना संख्या 1/33/2012-पी&पीडब्ल्यू (ई) द्वारा उप-नियम 13-क और 13-ख हटा दिए गए थे। इस प्रकार एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन की पात्रता पर प्रतिबंध को उक्त संशोधित अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया था। इस स्थिति को इस विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/33/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया था।
- 3. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को 20 दिसंबर, 2021 को पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 की जगह अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 कुटुंब पेंशन से संबंधित है। इस नियम में एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है।

- 4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित मामले में, एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में परिवार के किसी सदस्य को दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन देने पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में कोई प्रतिबंध नहीं है।
- 5. तथापि, दो अलग-अलग सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार के एक सदस्य को दो कुटुंब पेंशन की पात्रता केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के उप-नियम 12 (क) और उप-नियम 13 में प्रतिबंध के अध्यधीन बनी रहेगी।

(संजय शंकर)

भारत सरकार के उप सचिव

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- 2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय
- 3. लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
- 4. एनआईसी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

#### **No.** 1/1(45)/2022-P&PW (E)

# Government of India Ministry of Personnel Pension & Public Grievance Department of Pension & Pensioners' Welfare (Desk-E)

3<sup>rd</sup> Floor, Lok Nayak Bhawan Khan Market, New Delhi-110003 Dated May 23, 2022

#### **OFFICE MEMORANDUM**

Subject: - Eligibility for two family pensions- clarification regarding

The undersigned is directed to state that representations/references have been received in this Department seeking clarification in regard to entitlement of a member if family for family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner, e.g. in respect of military service and civil service or in respect of service rendered in autonomous body and civil Government Department.

- 2. Before amendment of the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 on 27th December, 2012, sub rule 13-A of Rule 54 of those Rules prohibited grant of family pension from the civil side to a re-employed military pensioner, if the military pensioner had opted for family pension for the military service rendered by him. Similarly, sub-rule 13-B of Rule 54 of those Rule prohibited grant of two family pensions to a person who was already in receipt of Family Pension or was eligible therefor under any other rules of the Central Government or a State Government and/or Public Sector Undertaking/Autonomous Body/Local Fund under the Central or a State Government. Sub-rules 13-A and 13-B were omitted vide notification No. 1/33/2012-P&PW (E) dated 27<sup>th</sup> December, 2012 (effective from 24<sup>th</sup> September, 2012). Thus the restriction on entitlement of family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner in such cases was removed by the aforesaid amendment notification. This position was also clarified vide this Department's O.M. No. 1/33/2012-P&PW (E) dated 16<sup>th</sup> January, 2013.
- 3. The Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 have been notified on 20<sup>th</sup> December, 2021 replacing the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with family pension. This rule also does not provide for any restriction on grant of family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner.
- 4. In view of the above, it is clarified that there is no restriction in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 on grant of family pension to a family member from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner, in cases referred to in para 2 above.
- 5. However, entitlement of two family pensions to a member of the family consequent on death of two different Government servants/pensioners shall continue to be subject to the restriction in sub-rule 12(a) and sub-rule 13 of Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

(Sanjoy Shankar) Deputy Secretary to the Government of India

- 1. All Ministries/Departments of the Government of India
- 2. O/o the Comptroller & Auditor General of India
- 3. O/o the Controller General of Accounts, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
- 4. NIC-for uploading on Department's Website